रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 119(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल),ई-मेल: jspb-morth@gov.in सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।

   (2) इन नियमों में अन्य स्वरूप में निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम,1989 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 125 ग में :-

क उप-नियम (7) के खंड (क) में "चालक को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वालीमूल उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अप्रैल, 2019 की पहली तिथि को और इस के पश्चात विनिर्मित पूर्णत: निर्मित बसें एआईएस:153 के अनुरूप होंगी", शब्दों, संख्याओं और आंकडों के स्थान पर "चालक को छोड़कर 22 या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली अप्रैल, 2019 की पहली तारीख को और इस के पश्चात विनिर्मित बसें एआईएस:153 के अनुरूप होंगी" शब्दों, संख्याओं और आंकडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख उप-नियम (7) के खंड (ख) में, सारणी 1 में क्रम संख्या 6 एवं क्रम संख्या 7 और इन से संबंधित कॉलमों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"6	उन्नतब्रेक क्षमता, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), इलेक्ट्रोनिक वाहन स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (ईवीएससी) और अन्य आवश्यकताएं	एआईसी:150 और एआईसी:153	1 अप्रैल, 2023
7	अजिन संसूचन, चेतावनी और शमन प्रणाली	एआईसी:135 और एआईसी:153	1 अप्रैल, 2019 1 अप्रैल, 2020. स्कूल बसों के लिए".

[सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2019

G.S.R. 119(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL),email :jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (…………Amendment) Rules, 2019

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 125C.-

a. in clause (a) of sub rule (7), for the words, number and figure "Fully built buses with seating capacity of 13 passengers or above excluding driver manufactured on and after 1st April, 2019, by Original Equipment Manufacturers shall be in accordance with AIS :153", shall be substituted by the words, numbers and figure "Buses with seating capacity exceeding 22 passengers or above excluding driver manufactured on and after 1st April, 2019, shall be in accordance with AIS:153";

b. in clause (b) of sub rule (7), for Sr. No. 6 and Sr. No. 7 and columns relating thereto in TABLE I, the following shall be substituted, namely.—

"6	Improved Braking Performance, Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Vehicle Stability Control System (EVSC) and Other requirements.	AIS:150 and AIS:153	1st April 2023
7	Fire Detection, Alarm and Suppression System	AIS:135 and AIS:153	1st April 2019 1st April, 2020. For school buses.".

[No. RT-11028/02/2013-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number ……..dated.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.18 21:45:43 +05'30'